**Development of Hyderabad as 'Mega City'**

5160. DR. ALLADI P. RAJKUMAR : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Hyderabad city is included in the '"Mega City" scheme;

(b) if so, what is the amount of Central share in the project;

(c) what is the period during which it will be completed ;

(d) the rate of compensation to be paid for private land to be acquired for the purpose ; and

(e) if so, whether any World Bank Loan is involved and if so, how much 7

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON) : (a) to (c) Yes, Sir. The Government of Andhra Pradesh has submitted a Project for Hyderabad under the Mega City Scheme at an estimated cost of Rs. 913 crores. Under this Scheme, the financial pattern is 25 : 25 : 50 between Central/ State Government and financial institutions. During 1993-94, a Central assistance of Rs. 15.10 crores was released.

The Project will be taken up for implemicntation during 1994-95 and is likely to continue in the remaining period of 8th Plan and 9th Plan.

(d) The project at present does not envisage any land acquisition, hencs this question does not arise.

(e) No, Sir.

**गतिवर्द्धित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम**

5161. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गतिवर्द्धित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रमों के अनुसार शहरों में जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दिए जाने का मापदण्ड क्या है;

(ख) 1993-94 में इस योजना के अधीन किन-किन राज्यों को राज्य-वार कितनी-कितनी धनराशि दी गयी है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय सहायता के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उन प्रस्तावों पर स्वीकृति दे दी गयी है;

(ङ) यदि उन पर स्वीकृति नहीं दी गयी है तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) यह स्वीकृति कब तक दे दी जाएगी?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन)** : (क) सरकार त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए. यू. डब्ल्यू. एस. पी.) के तहत प्रत्येक राज्य के लिए सरकार द्वारा यथा निर्धारित अंशदान के मानदण्ड इस प्रकार है :—

(1) 50% महत्व ऐसे कस्बों की आबादी को दिया जाता है;

(2) 35% महत्व राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में गरीबी की स्थिति को दिया जाता है;

(3) 5% महत्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे कस्बों की संख्या को दिया जाता है;

(4) 10% महत्व ऐसे कस्बों की आबादी के संदर्भ में डी. पी. ए. पी., डी. डी. पी., एच. ए. डी. पी., और विशेष श्रेणी के पहाड़ी क्षेत्र वाले राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को दिया जाता है ।

ए. यू. डब्ल्यू. एस. पी. के तहत कस्बों का चयन कुछ दिशानिर्देशों पर आधारित था, जिनकी प्रति विवरण 1 के रूप में संलग्न है । (नीचे देखिए)

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान दी गई राज्यवार मदद का ब्यौरा संलग्न विवरण–2 में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) जी, हां। मध्य प्रदेश के 32 कस्बों के प्रस्तावों को मंजूर कर मदद दी जा चुकी है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

**विवरण-1**

**शहरी विकास मंत्रालय**

**सी. पी. एच. ई. ई. ओ.**

**बीस हजार से कम की आबादी (1991 की जनगणना) वाले कस्बों के लिए केन्द्र प्रवर्तित**

**त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम**

**जल आपूर्ति परियोजनाएं तैयार करने के लिए दिशानिर्देश**

**I. भौतिक :**

1. किसी राज्य में 20,000 तक की आबादी (1991 की जनगणना) वाले कस्बों की संख्या को प्राथमिकता दी जाए।

2. ऐसे कस्बों की कुल आबादी (1991 की जनगणना)।

3. निम्नलिखित स्थितियों से ग्रस्त राज्यों को प्राथमिकता दी जाए :

(1) अत्यधिक खारा पानी

(2) अधिक फ्लोरीनयुक्त पानी

(3) अधिक लौहयुक्त पानी

(4) कीड़ेयुक्त खारा पानी

4. ऐसे कस्बों को प्राथमिकता दी जाए जहां :

(1) पानी का स्रोत 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हो या पानी का चुआन 50 मीटर से अधिक गहराई पर हो।

(2) पानी का स्रोत 3 किलो मीटर से अधिक और 5 किलो मीटर से कम दूरी पर हो अथवा पानी का चुआन 25 से 50 मीटर की गहराई पर हो।

(3) पानी का स्रोत 3 किलोमीटर से कम दूरी पर है या पानी का चुआन 25 मीटर से कम गहराई पर हो।

5. निम्नलिखित मानक अपनाए जा सकते हैं :

(1) पानी की प्रति व्यक्ति आपूर्ति

(क) घरेलू पानी कनेक्शन वाले कस्बों में 70 लीटर प्रति-व्यक्ति दैनिक आपूर्ति;

(ख) सामयिक/नियमित जल-दायी सार्वजनिक नलों में 40 लीटर प्रति व्यक्ति दैनिक जल आपूर्ति

(2) आबादी विस्तार — जल आपूर्ति सेवा की कोटि

| आबादी विस्तार | घरेलू कनेक्शन | सामयिक/नियमित जलदायी सार्वजनिक नल |
|---|---|---|
| (क) 10,000 से कम | 600 | 400 |
| (ख) 10,000से 20,000तक | 700 | 300 |

(3) 100 से 150 व्यक्तियों अथवा 20 से 30 परिवारों के लिए एक-एक सार्वजनिक जल स्रोत (नल) लगाया जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति बहुल आबादी क्षेत्रों के मामले में 100 व्यक्ति प्रति स्पाट स्रोत तक छूट दी जा सकती है।

(4) जल के स्रोत का चयन करते समय प्राथमिकता यथा संभव इस प्रकार हो :—

(क) भूगर्भीय जल स्रोत

(ख) मिलाजुला भूगर्भीय व भू-तलीय जल स्रोत

(ग) भूतलीय जल स्रोत।

(5) चुना गया जल स्रोत लक्षित अवधि में 95% विश्वसनीय होना चाहिए और संबंधित विभाग, अर्थात् केन्द्रीय भूजल बोर्ड राज्य भूजल बोर्ड, सिंचाई

सिंचाई विभाग, द्वारा उनकी पुष्टि में पर्याप्त आंकड़े दिए जाने चाहिएं ।

(6) प्रस्तावित परियोजना घरेलू प्रयोग हेतु जल आपूर्ति के लिए होनी चाहिए ।

6. नई स्कीमों की बजाय पुनर्गठित/पुनः चालू स्कीमों को प्राथमिकता दी जाए।

2. वित्तीय :

1. स्कीम के तहत् प्रत्येक पात्र राज्य के लिए सहायता राशि निर्धारण के मानदण्ड ई एफ सी मीमो के 1 (घ) में पहले ही दिए जा चुके हैं ।

2. राज्य सरकारों द्वारा बराबर का अंशदान करना होगा । इस स्कीम में केन्द्र और राज्यों को 50:50 के अनुपात में धन देना होगा । जैसा कि पैरा 11 (ङ) में कहा गया है ।

3. स्कीम लागत में 5% का अंशदान स्थानीय निकायों को करना होगा ।

4. ओ. एण्ड एम. का खर्च स्थानीय निकाय/राज्य सरकार/लाभार्थियों को वहन करना होगा ।

5. भारत सरकार द्वारा परियोजना मंजूरी और धन राशि तय कर देने के बाद किसी भी स्तर पर अधिक विलंब के कारण किसी भी अवस्था में लागत वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**विवरण-2**

**प्रत्येक राज्य में अनुमोदित कस्बों की संख्या की सूची, उनकी अनुमानित लागत और 1993-94 के दौरान रिलीज किया गया केन्द्रीय अंश**

| क्र० सं० | राज्य | कस्बों की संख्या | कुल अनुमानित लागत (लाख रु० में) | केन्द्रीय अंश का नियतन (रु० लाख में) | रिलीज किया गया केन्द्रीय अंश | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | — | 0.00 | 39.84 | 0.00 | स्कीम नहीं |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | — | 0.00 | 3.96 | 0.00 | **मिली |
| 3. | असम | 1 | 212.23 | 26.06 | 26.06 | |
| 4. | बिहार | — | 0.00 | 61.15 | 0.00 | स्कीम नहीं |
| 5. | गोआ | 2 | 49.92 | 7.61 | 6.24 | मिली |
| 6. | गुजरात | 8 | 568.62 | 65.43 | 71.08 | |
| 7. | हरियाणा | 4 | 241.99 | 25.50 | 30.25 | |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 2 | 70.30 | 9.59 | 8.79 | |
| 9. | जम्मू और काश्मीर | — | 0.00 | 5.91 | 0.00 | |
| 10. | कर्नाटका | 9 | 681.16 | 78.84 | 85.15 | |
| 11. | केरल | 1 | 236.00 | 28.21 | 28.21 | |
| 12. | मध्य प्रदेश | 32 | 1640.79 | 183.14 | 205.10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | महाराष्ट्र | 6 | 682.87 | 77.52 | 85.36 | |
| 14. | मणीपुर | 3 | 61.23 | 8.25 | 7.65 | |
| 15. | मेघालय | – | 0.00 | 1.53 | 0.00** | |
| 16. | मिजोरम | 1 | 44.24 | 4.26 | 4.26 | |
| 17. | नागालैण्ड | – | 0.00 | 2.05 | 0.00** | |
| 18. | उड़ीसा | 5 | 401.84 | 48.93 | 50.23 | |
| 19. | पंजाब | 2 | 226.12 | 26.73 | 26.73 | |
| 20. | राजस्थान | 10 | 655.73 | 75.08 | 81.97 | |
| 21. | सिक्किम | – | 0.00 | 0.62 | 0.00** | |
| 22. | तमिलनाडु | 15 | 657.90 | 74.70 | 82.24 | |
| 23. | त्रिपुरा | 1 | 41.30 | 5.48 | 5.16 | |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 42 | 2623.04 | 296.27 | 327.88 | |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 3 | 324.38 | 39.19 | 39.13 | |
| 26. | ए० एण्ड एन० द्वीप समूह | – | 0.00 | 0.00 | 0.00†† | |
| 27. | चण्डीगढ़ | – | 0.00 | 0.00 | 0.00†† | |
| 28. | दादरा व नगर हवेली | – | 0.00 | 0.38 | 0.00 | स्कीमें नहीं मिली |
| 29. | दमन व द्वीव | – | 0.00 | 0.00 | 0.00†† | |
| 30. | दिल्ली | – | 0.00 | 1.77 | 0.00†† | |
| 31. | लक्ष्यद्वीप | – | 0.00 | 0.98 | 0.00†† | |
| 32. | पांडिचेरी | – | 0.00 | 1.11 | 0.00 | स्कीमें नहीं मिली |
| | योग | 147 | 9419.66 | 1200.00 | 1171.44 | |

**कस्बे अनुमोदित मानदण्ड/दिशानिर्देश के अनुसार नहीं है।
††20,000 से कम की आबादी वाले शहर नहीं हैं।

**शहरी विकास के लिए वित्तीय सहायता**

5162. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने शहरी विकास के लिए देश के कुछ शहरों को कुछ वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इस श्रेणी के अंतर्गत कौन-कौन से शहर हैं;

(ग) क्या गुजरात को, विशेष रूप से अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, भावनगर और जाम नगर शहरों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और